

**Q219** - Design and implement a system that allows online application and payment without the need for a physical touch point for document submission and verification

**Response: Compliant at MPCTD**

- (a) MP Commercial Tax Department has online system for Registration, Document Submission, Application Tracking and Payment Process. (Screenshots attached below).
- (b) For CST Registration, which comes under Central Law, a security deposit is required from the Dealer for which a hearing opportunity is being provided to Dealer as per the Law.
- (c) For Hearing Process, as per administrative and government order, the hearing done over Email, eliminating need of Physical Presence of the Dealer in CTD office. (**Administrative Order attached**)

**Proof / Process :**

- (a) **Online Registration Process: MPCTD Home Portal (<https://mptax.mp.gov.in>) => E-Services => New Registration => CST Registration**

The screenshot shows the official website of the Department of Commercial Tax, Government of Madhya Pradesh. The header includes the department name in English and Hindi, along with the state emblem. A navigation bar contains links for 'Go to Previous Version', 'A-Z A A A', and a search box. Below the header, there is a welcome message and a grid of service icons: Login, e-Return, Dealer Information, and Verify Statutory Forms. A sidebar on the left lists various services like 'FM BUDGET SPEECH', 'GST CORNER NEW', 'LOGIN SERVICES', and 'E-SERVICES'. The main content area features a 'News' section with a highlighted article: 'Advertisement for Appointment of Special Government Advocate in Madhya Pradesh Commercial Tax Appeal Board'. A red box highlights the 'New Registration' option in the sidebar, and a black arrow points to 'Online CST Registration' in the main content area.

- (b) **Online Payment System: MPCTD Home Portal (<https://mptax.mp.gov.in>) => कर भुगतान /Tax Payment**

Department of Commercial Tax  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)

वाणिज्यिक कर विभाग  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to Previous Version | A-Z A A A

DEALERS please note that the validity of Form 49 has been reduced from 30 days to 15 days with effective from 1st June 2015. Please plan your work transactions accordingly

Welcome to Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh

लॉगिन/ Login  
डाउनलोड/ Downloads  
विभागीय जानकारी/ Departmental Information

ई रिटर्न/ e-Return  
आवेदन पत्र की स्थिति/ Track Application  
प्रवर्तन और चेक पोस्ट/ Enforcement & Check Post

डीलर जानकारी/ Dealer Information  
कर भुगतान/ Tax Payment  
मध्यप्रदेश में प्रवेश का समय/ submit date/time of entry in MP

वैधानिक फार्म जांचना/ Verify Statutory Forms  
पंजीकृत व्यवसायी/ Registered Dealers  
अपंजीकृत व्यवसायी/ Unregistered Dealers  
एनईएफटी / आरटीजीएस/ NEFT/RTGS  
चालान जनरेशन/ Challan Generation

सहायता/ Help  
करें और निकालें/ w Statutory Forms

News

- ट्रांसपोर्टर कृपया ध्यान देवे :- एक ही PAN नंबर उपयोग कर एक से अधिक ट्रांसपोर्टर ID सुरक्षा की दृष्टि से BLOCK कर दिया गया है। ऐसे ट्रांसपोर्टर से निवेदन है कि वे ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः आवेदन करें [please Click Here New](#)
- जिन ट्रांसपोर्टरों को एक से अधिक लोकेशन पर ID की आवश्यकता होती है उनसे निवेदन है की वे Transshipment Enrollment की सुविधा ले सकते है. जिसका पूजर मेन्युअल इस प्रकार है [please Click Here New](#)
- नोटिफिकेशन नं 1 एफए 3-02 / 2016 / 1 / पांच (10) दिनांक 22/01/2016 के अनुसार घोषणा पत्रों जैसे- फॉर्म -49 हेतु जारी कमोडिटी की सूची में नवीन 32 कमोडिटी को जोड़ा गया है [please Click Here New](#)
- "Advertisement for Appointment of Special Government Advocate in Madhya Pradesh Commercial Tax Appeal Board" [Click Here New](#)

in/mpvatweb/headerMenu.do# RS please note that the validity of Form 49 has been reduced from 30 days to 15 days with effective from 1st June

(c) Online Tracking System of Application: MPCTD Home Portal (<https://mptax.mp.gov.in>) => Track Application

Screen Shot 1:

Department of Commercial Tax  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)

वाणिज्यिक कर विभाग  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to Previous Version | A-Z A A A

DEALERS please note that the v

Welcome to Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh


लॉगिन/ Login  
डाउनलोड/ Downloads  
विभागीय जानकारी/ Departmental Information

ई रिटर्न/ e-Return  
आवेदन पत्र की स्थिति/ Track Application  
प्रवर्तन और चेक पोस्ट/ Enforcement & Check Post

डीलर जानकारी/ Dealer Information  
कर भुगतान/ Tax Payment  
मध्यप्रदेश में प्रवेश का समय/ Submit date/time of entry in MP


वैधानिक फार्म जांचना/ Verify Statutory Forms  
सहायता/ Help  
करें और निकालें/ Cancel & Withdraw Statutory Forms

News






## Screen Shot 2:

**Department of Commercial Tax**  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)



**वाणिज्यिक कर विभाग**  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to Previous Version |   A-Z A A A

Site Search  

MP CTD DEALERS please note that the validity of Form 49 has been reduced from 30 days to 15 days with effective from 1st June 2015. Plea

You are here: [Home](#) >> Track Application

Track Application

For tracking the status of e-Amendment / e-Return / e-Cancellation kindly login

Type of Application	e-Registration ▾
Search Code*	<input type="text"/>
Acknowledgement No.*	<input type="text"/>
Fields marked with * are mandatory	
<input type="button" value="Search"/>	

[n/mpvatweb/leftMenu.do#](#)

(d) Administrative Order to Conduct of Hearing over Email:

**कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर**

क्रमांक/36/2016-17/30/पदह/321  
प्रति.

इंदौर दिनांक 01 जून, 2016

संचालक,  
अपर आयुक्त (समस्त),  
उपायुक्त (समस्त),  
सहायक आयुक्त (समस्त),  
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

**विषय -** केंद्रीय विजय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले व्यवसायियों से प्रतिभूति लिये जाने की कार्यवाही के संबंध में।

केंद्रीय विजय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 में व्यवसायियों को पंजीयत किये जाने संबंधी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2A) में प्रावधान है कि यदि पंजीयनकर्ता अधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो, वह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व इस अधिनियम के तहत देय कर के समुचित संयोजन (proper realisation) के लिए अथवा इस अधिनियम के तहत व्यवसाई को जारी किये जाने वाले विभिन्न घोषणा पत्रों (जैसे फार्म सी/फार्म एफ/फार्म एच/फार्म ई) के समुचित उपयोग एवं अभिरक्षा (proper custody) के लिए, व्यवसाई को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यवसाई को निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकता है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3A) में प्रावधान है कि उपधारा (2A) के तहत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभूति के अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की आवश्यकता होने पर पंजीयनकर्ता अधिकारी व्यवसाई को सुनवाई का अवसर देते हुए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित कर सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पंजीयन प्रदाय करने के पूर्व व्यवसायियों से प्रतिभूति तथा अतिरिक्त प्रतिभूति लेने संबंधी प्रावधान पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवेकाधीन (discretionary) हैं। अतः प्रतिभूति केवल उन्हीं प्रकरणां में मांगी जाये, जहाँ प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। प्रतिभूति लिए जाने का समुचित कारण का उल्लेख पंजीयन प्रकरण तथा व्यवसाई को जारी सूचना पत्र में आवश्यक रूप से किया जाना है। प्रतिभूति की राशि का निर्धारण भी धारा 7 (3BB) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**“ईज ऑफ डुईंग बिजनेस”** के दृष्टिगत राज्य शासन से अनुमोदन पश्चात् कार्य पद्धति में शीघ्रता, सुगमता और पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि केंद्रीय पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक प्रतीत होने पर इस संबंध में पंजीयन कर्ता अधिकारी द्वारा व्यवसाई से समस्त पत्राचार (जैसे व्यवसाई को प्रतिभूति निर्धारण सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करना, व्यवसाई से सूचना पत्र का जवाब प्राप्त करना, प्रतिभूति निर्धारण आदेश व्यवसाई को जारी करना आदि) अनिवार्यतः केवल ई-मेल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किए जाए। प्रतिभूति निर्धारण हेतु व्यवसाई अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी तरह से भौतिक रूप से पंजीयन जारी कर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाए।

उपरोक्त निर्देशों तथा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 36/2016-17/30/पदह/318 इंदौर दिनांक 31.5.2016 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश